कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश कमांक 10/36-15 प्रशा0 (4)

दिनांक, पंचकूला भीव/2015

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र कमांक 02/08/2015-2GS-I दिनांक 9.12.2015 जो कि Submission of Annual Property Return by the Government employees से सम्बन्धित है। निम्नलिखत को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि पत्र में दर्शीये तथा संलग्न प्रोफार्मा अनुसार हर अवस्था में दिनांक 31.12.2015 तक कार्यवाही करने का कष्ट करे :--

- 1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
- ्र2. निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुडगांव।
- ्र3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
- त्यः राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
- इ. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
- 6. मुख्यालय के सभी स्थापना सम्बंधित शाखाओं के अधिकारी / अधीक्षक।
- 7. निजि सहायक / निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
- 8. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-ा, ॥ एवं ॥।
- 9. प्रोद्योगिकी अधिकारी (आई०टी०सैल) मुख्यालय।
- 10 अतिरिक्त निदेशक एन0वी0क्यू०एफ0 सैल।
- 11. प्रशासन शाखा मे कार्यरत सहायक— ा, ॥ एवं ॥।

अधीक्षक प्रशासन कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

863 Adnn.

Immediate Date Bound



Government of Haryana General Administration Department General Services-I Branch No. 02/08/2015-2GS-I

Dated Chandigarh, the 9th December, 2015

- 1. All the Administrative Secretaries in Haryana State.
- 2. All the Heads of Departments in Haryana State.
- 3. The Divisional Commissioner, Ambala/ Hisar/ Rohtak /Gurgaon Division.
- 4. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
- 5. All the Deputy Commissioners in Haryana State.

Subject:-

Submission of Annual Property Return by the Government employees.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention towards rule 18 of the Government Employees (Conduct) Rules, 1966, amended from time to time, which require filing of annual property return by Class I, II and III Government employees (except All India Services Officers, who are covered under AlS rules).

It has been observed that the annual property return is not being filed by the Government employees regularly. The Government has decided to closely monitor the filing of Property Return by Class-I and II Government employees. You are, therefore, requested to obtain a report in respect of Class-I and II officers (except All India Services Officers) working under your control, who have not submitted their annual property return for the year 2014-15 and intimate the number of such officers to the Government within a period of three weeks i.e. by 31.12.2015 positively.

Under Secretary General Administration, for Chief Secretary to Government, Haryana

11/2/2015

10-12-15

An Se.

17/12/15

ANNEXURE-A

(36)

Year	****************					
	ARATION FORM				ILE 18 OF T	ΉE
Name	& Designation of t	he Govt. Serv	/ant			
Addre	ss			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 	. •
Stater	ment made on	••••••		***************************************		
(1)	Cash, Jewellery Debentures; Loans & Advanc					and
(2) (3) (4)	Motor-cars, Motor Refrigerators, Ra	r-cvcle, Horse	es, or any other n	neans of conv		
Desc	cription:					
a) (i) (ii) (iii)	Cash, Jewellery Debentures; Motor-cars, Moto Refrigerators, R	or-cycle, Hors		means of con		
Sr. No.	Description of item	Value	Name of member the Govt. Serva family a Benamidar (if a in whose name	nts of and acquisition any during the	fresh en	ark

b)

(iv) Details of Loans

Sr. No.	Amount of Loan	If loan is a secured one, nature of the security with appropriate value	Name of member of the Govt. servants family who has advanced loan	Name with description of the loanee	Date with other particulars of the loan.	Remarks

assets is held)

Note: Members of a Government Servants family are those mentioned in Rule 2(c) of the Government Employees (Conduct) Rules, 1966.

Dated:

Signature of the Govt. Servant

अनुबन्ध-क

वर्ष					
सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के नियम 18 के अधीन चल सम्पति का घोषणा फार्म					
सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद संज्ञा					
पता					
दिनांकको दिया घोषणा पत्र					
 (1) नकदी, जेवर, बैंक जमा, बीमा पालिसी, हिस्से प्रतिभूतियां तथा डिबैंचर (2) सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गये ऋण एंव अग्रिम तथा प्रतिभूति की किरम (3) मोटर कारें, मोटर साईकिल, घोड़े और / या अन्य वाहन (4) रैफिजरेटर, Radiograms और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान 					
विवरण: (क) (i) नकदी, जेवर, बैंक जमा, बीमा पालिसी, हिस्से, प्रतिभूतियां तथा डिबैंचरः (ii) मोटर कारें, मोटर साईकिल, घोड़े और/या अन्य वाहन (iii) रैफिजरेटर, Radiograms और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान					
कम मदों का विवरण मूल्य सरकारी कर्मचारी के वर्ष के दौरान नए विशेष परिवार के स्दस्य और अधिग्रहण की कथन विशेष किनामीदार (यदि कोई हो) का नाम जिसके नाम पर परिसम्पति रखी हुई है					

(ख)

(iv) कर्ज़ का विवरण

कम संख्या	कर्जे में ली गई राशि	 कर्मचारी के परिवार के	कर्जदार का ब्यौरा सहित नाम	कर्ज़े के अन्य ब्यौरों सहित तिथि	विशेष कथन

नोटः सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य वाक्य की व्याख्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के नियम 2 (सी) में दी गई परिभाषा के अनुसार की जाएगी।

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

वर्ष

एंव उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के नियम 18 घोषणा द्वारा के तहत अचल सम्पति बारे।

1) स्थाई भूमि के सारे हित, मलकीयत, रेहन अथवा पैतृक तौर पर प्राप्त सम्पति तथा राज्य, जिले, गांव व शहर में आवास सहित दर्ज होने चाहिए। 2) सरकारी कर्मचारी के परिवारिक सदस्यों जो कि सरकारी कर्मवारियों के आचरण नियम, 1966 के नियम 2 (सी) तथा प्रत्येक का क्षेत्र दिखाते हुए यदि क्षेत्र बेनामीदार हो तो बेनामीदार का नाम भी होना चाहिए। नोट:-

सम्पति कर्मचारी के क एंव ख प्रत्येक नाम दर्ज है अथवा श्रेणी से होने वाली उसके आश्रित के वार्षिक आय नाम (नाम व संबंध) और बेनामीदार का नाम (यदि कोई हो तो) जिसके नाम पर परिसम्पति रखी	8
व्यक्ति / प्राधिकारी का विवरण जिससे सम्पति प्राप्त की गई है	9
सम्पति अधिग्रहण/ व्यक्ति प्राप्ति का ढंग विवरण (उत्तराधिकारी, पुन, सम्पति दान, खरीद, पट्टे पर, गई है रेहन, मेंट इत्यादि.)	S.
इमारत एवं मवन 1. निर्मित क्षेत्र 2. तलों की संख्या 3. इमारत / भवन की निर्माण लागत	4
त. प्लाट / कृषि म म त 1. भूमि का मूल्य 2. भूमि अधिग्रहण का वर्ष	က
जिला तहसील, प्लाट /कृषि उप—मंडल, गांव भूमि एवं शहर का नाम जहां सम्पति स्थित 1. भूमि का मूल्य है या) 2. भूमि अधिग्रहण सहित	2
सम्पति का स्वरूप क. मूमि का स्वरूप / प्लाट क्षेत्रफल (रिहायशी/ संस्थागत/ व्यावसायिक / कृषि एवं अन्य) ख. इमारत / भवन क्षेत्रफल सहित (रिहायशी/संस्थागत/ व्यावसायिक / कृषि एवं अन्य)	7
संख्या	

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

Year		
CD:		
40		
may.		
1		
-		
4		

UNDER RULE 18 OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES (CONDUCT) RULES, 1966. DECLATATION BYBY AND MEMBERS OF HIS FAMILY

- Note:-All interest in land of a permanent nature whether ownership, mortgage or hereditary occupancy, should be entered also dwelling houses in State, District, Village or City.
- Ξ Members of a Government Servants family are those mentioned in rule 2(c) of the Government Employees (Conduct) Rules, 1966 and in showing the holding of each, if a holding is Benami, the name of the Benamidar should also be mentioned.

		No.
	A. Type of Land area/plot size (Residential/ Institutional/ Commercial/ Agricultural etc.) B. Building with plot size (Residential/ Institutional/ Commercial/ Agricultural etc.)	Type of Property
×	or city in roperty is	Name of State, Plot/ District, Sub- Land
L.S	(i) Cost of Land (ii) Year of acquisition	Plot/ Agriculture Land
4	(i) constructed area (ii) No. of floors (iii) cost of construction/Building	Building
On	(Whether by purchase/ lease/ Mortgage/ inheritance/gift etc.)	Mode of
6	from whom property acquired	of Details of whether help
7	. <i>a</i>	Ω.
œ	erty in A	in Annual Income of from each

Dated

Signature of Applicant